RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
13
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

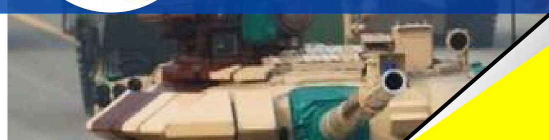

By Ankit Avasthi Sir

आवारा कुत्तों के संकट पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश / Supreme Court Order on Stray Dog Crisis

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा **कुत्तों की बढ़ती समस्या** को "गंभीर" बताते हुए दिल्ली सरकार और नोएडा, गुरुग्राम तथा गाज़ियाबाद के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों को पकड़कर निर्धारित शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें –

1. **तत्काल हटाने का निर्देश** – दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद में प्रशासन को तुरंत स्थानीय इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई शुरू करनी होगी, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों और शहर के बाहरी इलाकों में।
2. **स्थायी पुनर्वास** – पकड़े गए कुत्तों को विशेष आश्रय स्थलों में रखा जाएगा, उनका नसबंदी, टीकाकरण किया जाएगा और CCTV से निगरानी होगी। इन्हें दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर सख्त रोक होगी।
3. **कानूनी कार्रवाई और दंड** – हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। जरूरत पड़ने पर कुत्तों को पकड़ने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकेगा।
4. **आधारभूत ढांचा निर्माण समयसीमा** – 5,000–6,000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रय स्थल 6–8 हफ्तों में बनाए जाएं, जिनमें नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों।
5. **रेबीज रोकथाम उपाय** – कुत्ते के काटने और रेबीज मामलों के लिए सार्वजनिक हेल्पलाइन एक सप्ताह में शुरू होनी चाहिए, जिसमें शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर कार्रवाई हो।
6. **टीके की उपलब्धता** – प्रशासन को टीकों की उपलब्धता और भंडार का विवरण सार्वजनिक करना होगा।

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या:

- भारत में 6 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते हैं, जो दुनिया की कुल आवारा कुत्तों की आबादी का 37% है।
- देश में हर 10 सेकंड में एक कुत्ते के काटने की घटना होती है, जिससे सालाना 30 लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं।
- हर तीन घंटे में रेबीज़ से दो लोगों की मौत होती है, जिससे भारत इस बीमारी से होने वाली मौतों का वैश्विक केंद्र बन गया है।
- शिशु और बुजुर्ग सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, और दिल्ली, तेलंगाना व पंजाब में घातक हमले दर्ज किए गए हैं।
- आवारा कुत्ते गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करते हैं।
- यदि आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो 2030 तक रेबीज़ समाप्त करने का लक्ष्य असंभव है।

चुनौतियाँ:

- **संरचनात्मक कमी (Structural Limitations)** – दिल्ली में सरकारी स्तर पर डॉग शेल्टर नहीं हैं। लाखों कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में विशाल भूमि, स्वच्छता और भोजन की व्यवस्था की जरूरत होगी, जिसे तैयार करने में कई साल लगेंगे।
- **वित्तीय बोझ (Financial Burden)** – पर्याप्त शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग ₹15,000 करोड़ का खर्च आएगा, जो अदालत द्वारा तय 2 महीने की समयसीमा में संभव नहीं है।
- **जन आक्रोश (Public Outrage)** – समुदायों और पशु कल्याण संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाने का विरोध किया जा रहा है, जिससे कानूनी चुनौतियां और देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं।
- **लॉजिस्टिक समस्या (Logistical Constraints)** – सिर्फ दिल्ली में ही 3 लाख से अधिक आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय में रखने के लिए भारी संख्या में जनशक्ति, परिवहन, पशु-चिकित्सा सहायता और संचालन समन्वय की जरूरत होगी।
- **कानूनी बाधा** – ABC (Animal Birth Control) गाइडलाइंस में सामुदायिक कुत्तों (सड़क या गेटेड कैंपस में रहने वाले) और पालतू कुत्तों के बीच अंतर किया गया है, जिससे जिम्मेदारी तय करना अधिकारियों के लिए कठिन हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन इसके सामने कानूनी, नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी मौजूद हैं।

भारत में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन / Ethanol-Blended Fuel in India

संदर्भ:

भारत में E20 (20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) के अपनाने को लेकर वाहन की अनुकूलता और असंगत ईंधन मिश्रण के कारण इंजन को हुए नुकसान पर बीमा दावों की अस्वीकृति जैसी चिंताएँ सामने आई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया जारी की है।

एथेनॉल ब्लेंडिंग:

- **एथेनॉल** एक अल्कोहल-आधारित **बायोफ्यूल (Biofuel)** है, जिसे आमतौर पर गन्ना, मक्का या अन्य **बायोमास (Biomass)** स्रोतों से बनाया जाता है।
- पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से **कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions)** कम होता है और भारत की आयातित **जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels)** पर निर्भरता घटती है।
- सरकार का **Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme** वर्ष 2003 में शुरू हुआ और पिछले दशक में इसे तेज़ी से बढ़ावा दिया गया।
- वर्ष **2022 में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग (E10)** का लक्ष्य पूरा हुआ।
- वर्ष **2025 में E20 रोलआउट** (20% एथेनॉल मिश्रण) पूरे देश में लागू कर दिया गया।
- यह उपलब्धि भारत के **National Bio-Energy Programme** के तहत नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के बड़े लक्ष्यों के अनुरूप है।

एथेनॉल कैसे तैयार किया जाता है?

1. **किण्वन (Fermentation)** – गन्ना, मक्का आदि स्रोतों से प्राप्त शर्करा को **यीस्ट (Yeast)** द्वारा किण्वित किया जाता है, जिससे एथेनॉल बनता है।
2. **आसवन (Distillation)** – किण्वित मिश्रण को आसवन प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है, ताकि एथेनॉल को अन्य तत्वों से अलग किया जा सके।
3. **निर्जलीकरण (Dehydration)** – आसवन से प्राप्त एथेनॉल से पानी हटाकर **निर्जल एथेनॉल (Anhydrous Ethanol)** बनाया जाता है, जो पेट्रोल में मिलाने के लिए उपयुक्त होता है।

भारत में एथेनॉल उत्पादन की वर्तमान स्थिति:

1. **उत्पादन क्षमता (Production Capacity)** – पिछले 4 वर्षों में एथेनॉल उत्पादन क्षमता **दोगुने से अधिक** बढ़कर **16,230 मिलियन लीटर** हो गई है।
2. **ब्लेंडिंग उपलब्धि (Blending Achievements)** – पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा **2013–14 में 1.53%** से बढ़कर **2025 में 20%** हो गई है।
3. **आर्थिक प्रभाव (Economic Impact)** – कच्चे तेल के आयात में कमी से लगभग **₹1.36 लाख करोड़** विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
4. **ग्रामीण विकास (Rural Development)** – किसानों को **₹1.18 लाख करोड़** और डिस्टिलरी को **₹1.96 लाख करोड़** का भुगतान हुआ, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है।

एथेनॉल ब्लेंडिंग- ईंधन दक्षता पर प्रभाव:

1. **माइलेज में कमी**– एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग **30% कम ऊर्जा** प्रति लीटर होती है, जिससे प्रति किलोमीटर **ईंधन खपत बढ़ सकती है**।
2. **सरकार का दृष्टिकोण (Central Govt's View)** –
   - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के अनुसार, **E10 डिज़ाइन वाले वाहनों** (जो E20 के लिए कैलिब्रेट हैं) में माइलेज में केवल **1–2% की मामूली कमी** आती है।
   - अन्य वाहनों यह कमी **3–6%** तक हो सकती है।
   - मंत्रालय का कहना है कि **सही इंजन ट्यूनिंग** से इस हानि को कम किया जा सकता है।
3. **विशेषज्ञों की राय** – स्वतंत्र ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार, **वास्तविक माइलेज हानि 6–7% तक** हो सकती है, खासकर उन वाहनों में जो **E20 के लिए अनुकूलित नहीं हैं**।
4. **परिणाम**: माइलेज घटने का मतलब है **बार-बार ईंधन भराना** और **उपभोक्ताओं के लिए अधिक खर्च**।

जंग और अनुकूलता से जुड़ी समस्याएं:

1. **मुख्य चिंता – वाहन का रखरखाव:** एथेनॉल **हाईग्रोस्कोपिक** (Hygroscopic) होता है, यानी यह वातावरण से **नमी सोखता** है।
2. **संभावित नुकसान (Possible Damages)**
   - **धातु के हिस्सों में जंग** – जैसे फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, इंजेक्टर और एग्ज़ॉस्ट।
   - **रबर और प्लास्टिक के हिस्सों का खराब होना** – जैसे सील, गैस्केट और होज़ पाइप।
   - **एयर-फ्यूल रेशियो में बदलाव** – जिससे दहन प्रक्रिया और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है, खासकर उन इंजनों में जिनके ECU (Engine Control Unit) E20 के लिए कैलिब्रेट नहीं हैं।

मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 / Merchant Shipping Bill 2025

संदर्भ:

संसद ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 पारित कर भारत के समुद्री ढाँचे में एक बड़े विधायी सुधार को पूरा किया है। यह विधेयक पुराने और भारी-भरकम मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 (561 धाराएँ) को बदलता है, जो आधुनिक समुद्री चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा था।

- यह मौजूदा सत्र में पारित होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण समुद्री सुधार है, इससे पहले 'कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025' भी पारित किया जा चुका है।

मर्चेंट शिपिंग बिल 2025-

परिचय:

मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया एक ऐतिहासिक विधेयक है। यह घरेलू कानूनों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और *International Maritime Organisation (IMO)* के मानकों के अनुरूप बनाता है, जिससे भारत का समुद्री क्षेत्र वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हो सके।

मुख्य विशेषताएं:

1. **सरल कानूनी ढांचा** – 16 भागों और 325 धाराओं में प्रावधानों का एकीकरण, जिससे कानून स्पष्ट और लागू करने में आसान हो गया है।
2. **सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी में सुधार** – समुद्री नेविगेशन सुरक्षा, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव कार्य और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाया गया है।
3. **भारतीय टनेज को बढ़ावा** – भारतीय ध्वज के तहत जहाज पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रावधान, जिससे राष्ट्रीय शिपिंग क्षमता और वैश्विक समुद्री उपस्थिति बढ़ेगी।
4. **अनावश्यक अनुपालन में कमी** – गैर-जरूरी नियम हटाकर समुद्री क्षेत्र में *Ease of Doing Business* को बढ़ावा, जिससे नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

महत्व:

1. **आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पूरा करना** – पुराने समुद्री कानून आधुनिक वैश्विक व्यापार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सुधार जरूरी था।
2. **व्यापार दक्षता में वृद्धि** – वैश्विक मानकों को अपनाने से कानूनी विवाद कम होंगे, माल ढुलाई सुगम होगी और भारत एक विश्वसनीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरेगा।

3. **नियामक और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना** – नए प्रावधान नाविकों के कल्याण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और उच्च सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देंगे।

भारत का समुद्री क्षेत्र:

दोनों विधेयक मिलकर भारत की ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) की मजबूत नींव रखते हैं। इनके जरिए–

- **समुद्री लॉजिस्टिक्स में व्यवसाय की सरलता** (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।
- **बंदरगाह, जहाज निर्माण और समुद्री तकनीक** में निवेश की संभावनाएं खुलेंगी।
- बेहतर कानूनी और नियामक ढांचे के माध्यम से **भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था** को मजबूती मिलेगी।
- **हरित समुद्री पहल** (Green Maritime Initiatives) और **सतत तटीय विकास** को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन सुधारों से विशेषकर **तटीय राज्यों में रोजगार के अवसर** बढ़ेंगे और भारत की क्षमता **सिंगापुर, चीन और यूएई** जैसे वैश्विक समुद्री शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक होगी।

डेंगू / Dengue

संदर्भ:

अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन अवधि के दौरान बड़े प्रकोप के कारण हुई प्राकृतिक डेंगू वायरस (DENV) संक्रमण और टीकाकरण दोनों ने ही EDE-जैसी एंटीबॉडीज़ के साथ-साथ सामान्य DENV-बाइंडिंग और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया।

डेंगू के बारे में-

- **कारण:** डेंगू एक मच्छर से फैलने वाला वायरल रोग है, जो डेंगू वायरस (DENV) से होता है। इसके चार प्रकार के सीरोटाइप होते हैं—DENV-1, DENV-2, DENV-3, और DENV-4।
- **संक्रमण का तरीका:** यह मुख्य रूप से *एडीज़ एजिप्टी* (Aedes aegypti) मच्छर के माध्यम से फैलता है। यह वायरस सीधे व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता।
- **संक्रमण की प्रक्रिया:** मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटकर वायरस ले लेता है और फिर अगले व्यक्ति को काटने पर उसे संक्रमित कर देता है।
- **लक्षण:** बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मितली और उल्टी, आंखों के पीछे दर्द, और त्वचा पर लाल चकत्ते (रैशेज)।
- **गंभीर स्थिति:** गंभीर मामलों में आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, और समय पर उपचार न मिलने पर मृत्यु भी हो सकती है।

डेंगू का उपचार और वैक्सीन-

- **उपचार:** डेंगू के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। रोग की शुरुआती पहचान और सही चिकित्सा से गंभीर डेंगू के मृत्यु दर को 1% से कम किया जा सकता है।
- **वैक्सीन:** *डेंगवैक्सिया* (Dengvaxia, CYD-TDV) – कुछ देशों में अनुमोदित। यह 9 से 16 वर्ष के उन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित है, जिन्हें पहले डेंगू का संक्रमण हो चुका हो।

डेंगू और वैक्सीन से जुड़ी चुनौतियाँ-

- **वैश्विक स्थिति:** डेंगू दुनिया की सबसे आम मच्छर जनित वायरल बीमारी है। दुनिया की आधी आबादी, खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में, इसके खतरे में है।
- **WHO की रिपोर्ट:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार डेंगू बुखार वैश्विक स्वास्थ्य के शीर्ष 10 खतरों में शामिल है।
- **भारत में डेंगू:** भारत में वैश्विक डेंगू मामलों का बड़ा हिस्सा आता है। वर्ष 2024 में 2.3 लाख मामले और 297 मौतें दर्ज की गईं।

वैक्सीन चुनौती:

- पहले संक्रमण के बाद मिलने वाली *प्राथमिक प्रतिरक्षा* (Primary immunity) अलग सीरोटाइप से दूसरे संक्रमण में बीमारी को और गंभीर बना सकती है।
- गंभीर डेंगू के मामले (अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत वाले) अक्सर दूसरे संक्रमण के बाद होते हैं।
- *पूर्ण सुरक्षा* (Secondary immunity) तभी विकसित होती है जब कम से कम दो अलग-अलग सीरोटाइप से संक्रमण हो चुका हो।

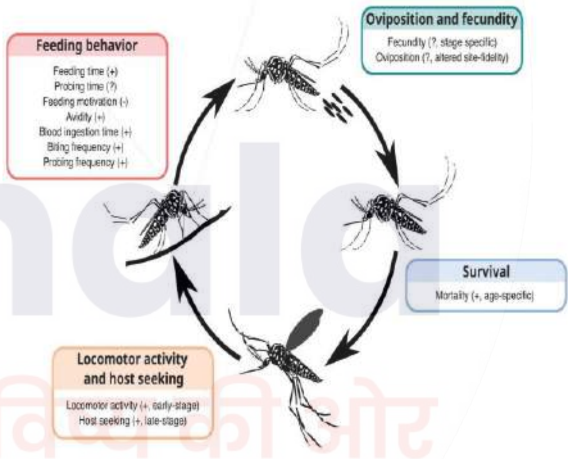

निष्कर्ष:

डेंगू एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें भारत भी बड़ी चुनौती झेल रहा है। वैक्सीन का विकास और उपयोग कठिन है क्योंकि अलग-अलग सीरोटाइप के कारण बार-बार संक्रमण से बीमारी गंभीर हो सकती है। इसलिए, फिलहाल सबसे प्रभावी उपाय मच्छरों की रोकथाम और समय पर इलाज है।

उल्ची फ्रीडम शील्ड / Ulchi Freedom Shield

संदर्भ:

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका "उल्ची फ्रीडम शील्ड" के तहत बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे।

उल्ची फ्रीडम शील्ड:

- यह एक **वार्षिक सैन्य अभ्यास** है, जिसका उद्देश्य **कोरियाई प्रायद्वीप** और आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में तैयारी और सहयोग को मजबूत करना है।
- इसकी शुरुआत **1960 के दशक** में *टैगुक एक्सरसाइज* के रूप में हुई थी, बाद में इसका नाम *उल्ची-फोकस लेंस* रखा गया।
- वर्ष **2008** में इसे **उल्ची-फ्रीडम गार्डियन** नाम दिया गया।
- इस वर्ष का अभ्यास **उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरों** के प्रति उन्नत प्रतिक्रिया और **आधुनिक युद्ध तकनीकों** के उपयोग की जांच पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

यह अभ्यास न केवल कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और आधुनिक सैन्य चुनौतियों से निपटने की क्षमता को भी बढ़ाता है।

ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी / OCO

संदर्भ:

ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर नासा से *ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्ज़र्वेटरीज़* (Orbiting Carbon Observatories) को बंद करने के लिए कहा था।

ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी (OCO):

परिचय:

- **OCO** पृथ्वी अवलोकन के लिए विशेष रूप से बनाए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की श्रृंखला है, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष से **वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** का अध्ययन करना है, ताकि **जलवायु परिवर्तन** की विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

समयरेखा:

- **2009** – पहला मिशन (*OCO*) लॉन्च वाहन की खराबी के कारण असफल रहा।
- **2014** – *OCO-2* का प्रक्षेपण हुआ, जो CO_2 स्तर मापता है और फसलों में प्रकाश-संश्लेषण (photosynthesis) को ट्रैक करता है।
- **2019** – *OCO-3* को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजा गया, जो *OCO-2* के तय समय-सारणी की तुलना में अलग-अलग समय पर अवलोकन करता है, जिससे CO_2 के स्रोत, अवशोषण केंद्र (sinks) और फसल स्वास्थ्य पर अधिक सटीक डेटा मिलता है।

महत्त्व:

- OCO मिशन **वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय CO_2 की निगरानी** में अहम भूमिका निभाते हैं।
- वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे और क्यों हो रहा है।
- इन मिशनों ने नए तथ्य उजागर किए, जैसे कि **बोरियल वन** CO_2 अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कुछ स्थितियों में वन स्वयं **कार्बन उत्सर्जक** भी बन सकते हैं।
- OCO डेटा का उपयोग **फसलों की निगरानी**, **सूखा ट्रैकिंग** और **उपज पूर्वानुमान** में किया जाता है, जिससे किसानों और नीतिनिर्माताओं को लाभ मिलता है।

फ़िजी / Fiji

संदर्भ:

भारत ने अपनी **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** के तहत कृषि सहायता के रूप में फ़िजी को 5 मीट्रिक टन ब्लैक-आइड काउपी (लोबिया) के बीज मानवीय सहायता के रूप में भेजे।

फ़िजी – मुख्य तथ्य:

- **स्थिति**: यह ओशिनिया (Oceania) का हिस्सा है।
- **औपनिवेशिक इतिहास:** 1874 से लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा।
- **स्वतंत्रता:** वर्ष 1970 में मिली।
- **राजधानी:** सुवा (Suva)।
- **मुख्य नदियाँ:** रेवा (Rewa), नवुआ (Navua), सिगातोका (Sigatoka) और बा (Ba)।
- **सबसे ऊँची चोटी:** टोमानीवी (माउंट विक्टोरिया) – 4,344 फीट (1,324 मीटर)।
- **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:** लेवुका ऐतिहासिक पोर्ट टाउन (Levuka Historical Port Town)।
- **सबसे बड़ा द्वीप:** वीति लेवु (Viti Levu)।
- **भौगोलिक स्थिति:** कोरो सागर (Koro Sea) से घिरा हुआ, ऑकलैंड (न्यूज़ीलैंड) के उत्तर में स्थित।
- **निर्माण प्रक्रिया:** ये द्वीप मुख्य रूप से ज्वालामुखीय क्रिया, अवसादी जमा (Sedimentary deposit) और प्रवाल (Coral) निर्माण से बने हैं।

निष्कर्ष:

फ़िजी प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध जैव-विविधता वाला देश है, जो ओशिनिया के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है।

हिमनद अपरदन / Glacial Erosion

संदर्भ:

नेचर जिओसाइंस में प्रकाशित एक नए वैश्विक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि विश्व के लगभग सभी ग्लेशियर हर साल 0.02 मिलीमीटर से 2.68 मिलीमीटर के बीच कटाव या अपरदन का शिकार होते हैं।

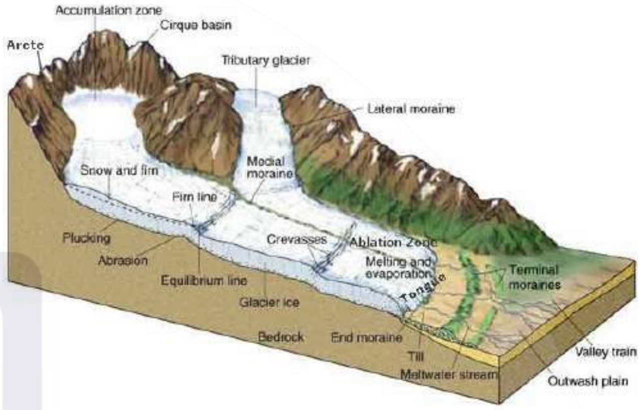

मुख्य निष्कर्ष:

1. **कटाव दर (Erosion Rates)** – 99% ग्लेशियरों में अनुमानित कटाव दर 0.02 मिमी/वर्ष से 2.68 मिमी/वर्ष के बीच पाई गई।
2. **अवसाद हटाना (Sediment Removal)** – सभी ग्लेशियर मिलकर हर साल लगभग 23 गीगाटन चट्टानी सतह का क्षरण करते हैं।
3. **उच्च कटाव वाले क्षेत्र** – अलास्का, मध्य व दक्षिण एशिया, कॉकसस एवं मध्य पूर्व, न्यूज़ीलैंड।
4. **मुख्य कारक (Main Drivers)** – वर्षा, ग्लेशियर की ऊँचाई, लंबाई, अक्षांश (latitude) और भूविज्ञान, ग्लेशियर की गति की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं।
5. **पर्यावरण-विशिष्ट मॉडल** – सर्ज-टाइप, मरीन-टर्मिनेटिंग और लैंड-टर्मिनेटिंग ग्लेशियरों के लिए अलग-अलग समीकरण विकसित किए गए।
6. **भारत की भागीदारी** – गंगोत्री ग्लेशियर, डॉकरीआनी ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर इस अध्ययन में शामिल हैं।

निष्कर्ष – यह अध्ययन दर्शाता है कि ग्लेशियर न केवल जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं बल्कि वे पृथ्वी की सतह के आकार को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके क्षरण और अवसाद हटाने की प्रक्रिया का सही आकलन, जलवायु विज्ञान, नदियों के तल निर्माण और बाढ़ प्रबंधन की रणनीतियों में मदद करता है।

GS FOUNDATION
For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
~~₹6000/-~~
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Baaten Bazar Ki
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
EMI AVAILABLE
BBK
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR